निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 वैशाख 1944 (श0)
(सं0 पटना 275) पटना, बृहस्पतिवार, 5 मई 2022

सामान्य प्रशासन विभाग

आदेश
4 मई 2022

सं० 3/एम0–54/2015–6685/सा0प्र0—राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवानिवृत्त एवं भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लिए जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 निर्गत है। उक्त संकल्प के साथ संलग्न अनुसूची में सम्मिलित पदों पर ही, संकल्प के प्रावधानों के तहत सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा के आधार पर नियोजन किया जा सकता है।

2. संकल्प की कंडिका–3(1) के प्रावधान के तहत गृह विभाग (आरक्षी शाखा) से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में सम्यक विचारोपरांत निम्नांकित पद को संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 की अनुसूची में सम्मिलित किया जाता है :–

क्रम सं0	विभाग/कार्यालय का नाम	संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.15 की अनुसूची में सम्मिलित किये जाने वाले पद।
1	गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना।	(i) सहायक अवर निरीक्षक, (ii) पुलिस अवर निरीक्षक, (iii) पुलिस निरीक्षक एवं (iv) पुलिस उपाधीक्षक

3. उपरोक्त पद पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के संविदा नियोजन हेतु संकल्प ज्ञापांक– 10000 दिनांक 10.07.2015 में निहित शर्त्त एवं प्रक्रिया लागू रहेंगी एवं इस पद पर सेवा लेने के संबंध में प्रशासी विभाग द्वारा ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

4. संविदा पर नियोजित पुलिस अवर निरीक्षक/पुलिस निरीक्षक को थानाध्यक्ष नहीं बनाया जायेगा।

आदेश से,
गुफरान अहमद,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 275-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in